रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 08 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 17, 1945 शक संवत्) [संख्या 27

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	465–468	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	743–786	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	265–276	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	37–38	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	329–332	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

10 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 937 (अधिष्ठान) / वि0प0-267 / 84 टी0सी0–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के निम्नांकित अधिकारी अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो जायेंगे–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	जय चन्द्र मौर्य, विशेष सचिव,	दिनांक 31 मार्च, 2024
2	विनय कुमार सिंह, विशेष सचिव,	दिनांक 31 मार्च, 2024
3	राम शंकर सिंह, प्रधान निजी सचिव,	दिनांक 31 मार्च, 2024
4	नरेश जायसवाल, प्रमुख प्रतिवेदक,	दिनांक 31 मार्च, 2024
5	तेज प्रताप सिंह, उपसचिव,	दिनांक 30 अप्रैल, 2024

01 मई, 2023 ई0

सं0 1175 (अधिष्ठान) / वि0प0-267 / 84–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति आदेश सं0 931 / (अधि0)वि0प0-267 / 84, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के क्रम में श्री राम सागर शुक्ल, संयुक्त सचिव, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 अप्रैल, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो गये।

प्रोन्नति / नियुक्ति

08 मई, 2023 ई0

सं0 1264 (अधिष्ठान) वि0प0-20 / 12–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति आदेश सं0 1175 / (अधि0)वि0प0-267 / 84, दिनांक 01 मई, 2023 के द्वारा रिक्त हुये संयुक्त सचिव के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-ख) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश सिंह, उपसचिव को संयुक्त सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

09 मई, 2023 ई0

सं0 1265 (अधिष्ठान) वि0प0-47 / 20–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश सं0 1264 / (अधि0)वि0प0-20 / 12, दिनांक 08 मई, 2023 के द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह के संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये उपसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री राकेश

मिश्र, अनुसचिव को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1266 (अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश सं0 1265/(अधि0)वि0प0-42/20, दिनांक 09 मई, 2023 के द्वारा श्री राकेश मिश्र, अनुसचिव को उपसचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 01 (अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश सं0 3432/(अधि0)वि0प0-267/84, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के क्रम में श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे, डिप्टी मार्शल, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो गये।

31 जनवरी, 2023 ई0

सं0 294 (1) (अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश सं0 189/(अधि0)वि0प0-267/84, दिनांक 24 जनवरी, 2022 के क्रम में श्रीमती मालती शाक्य, अनुसचिव, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 जनवरी, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो गयी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

24 फरवरी, 2023 ई0

सं0 536 (अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के रिक्त अनुसचिव के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री मुनेश कुमार, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 537 (अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या-294/अधि0, वि0प0-267/84, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा रिक्त हुये अनुसचिव के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री हरि प्रताप सिंह, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

25 फरवरी, 2023 ई0

सं0 550 (अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-536/अधि0, वि0प0-47/20, दिनांक 24 फरवरी, 2023 के द्वारा श्री मुनेश कुमार के अनुसचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री सुभाष प्रसाद, वरिष्ठतम समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 551 (अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-537/अधि0, वि0प0-47/20, दिनांक 24 फरवरी, 2023 के द्वारा श्री हरि प्रताप सिंह के अनुसचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुभाग अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री विनीत पाण्डेय, वरिष्ठम समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—15 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 17, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई की आज्ञायें

22 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 2529/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कोंच	कोंच	चन्दूपुरा	44	हेक्टेयर 0.372 में से 0.162	5-1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2570/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनाँक 07 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति सोमई के प्रस्ताव दिनाँक 21 मार्च, 2022 द्वारा ग्राम सोमई में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 215/3 रकवा 0.707 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या 349 रकबा 0.109 हे0 में से 0.087 हे0 एवं गाटा संख्या 135/794 रकबा 0.073 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सोमई द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	सोमई	215/3	0.707 में से 0.160	श्रेणी 6–4/खलिहान	215/3	0.160	श्रेणी 5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				349	0.109 में से 0.087	श्रेणी 5–1/नवीन परती	349	0.087	श्रेणी 6–4/खलिहान	
				135/794	0.073	5–1/नवीन परती	135/794	0.073	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी उरई उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 2530/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	त्रिलोकपुरा	54मि0	0.101	5–1/ नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

22 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 2533/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	कुसमी	265	0.162	5–3–ड़/अन्य कृषि योग्य भूमि–बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 2534/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	कहठा	149	हेक्टेयर 0.200 में से 0.162	5–1/कृषि योग्य भूमि–नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2535/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	ऐर	748/5	हेक्टेयर 0.474 में से 0.162	5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2540/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	लिड़ऊपुर	221ख	हेक्टेयर 0.162	6–4/बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2541/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	जमरेही सानी	88क	हेक्टेयर 0.154	5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2542/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	परावर	85ज	हेक्टेयर 1.113 में से 0.162	6–4/बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2543/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	कुठौन्दा	420	हेक्टेयर 0.210 में से 0.121	5–1/कृषि योग्य भूमि–नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2544/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	खराला	8मि0	हेक्टेयर 0.174	5–1/कृषि योग्य भूमि–बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2545/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	डावर माधौगढ़	62ड़	हेक्टेयर रकबा 1.862 में से 0.150	श्रेणी–5(1)/कृषि योग्य भूमि–बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2546/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	नावर	335	हेक्टेयर 0.170 में से 0.120	5–2/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2547/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	हरौली	384ग	हेक्टेयर 0.300 में से 0.161	5–3–ड़/अन्य कृषि योग्य भूमि–बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2548/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	डिकौली माधौगढ़	326	हेक्टेयर 0.660 में से 0.161	5–1/कृषि योग्य भूमि–नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

27 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 2571/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	बरसार	1029	हेक्टेयर 0.113	5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2573/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनाँक 08 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति भेड़ के प्रस्ताव दिनाँक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा ग्राम भेड़ में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 480 रकबा 0.679 हे0 में से 0.105 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 444 रकबा 0.206 हे0 में से 0.131 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सोमई द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	भेड़	480	0.679 में से 0.105	श्रेणी 6–4/खलिहान	480	0.105	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				444	0.206 में से 0.131	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	444	0.131	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2574/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनाँक 08 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति खैरावर के प्रस्ताव दिनाँक 06 जनवरी, 2022 द्वारा ग्राम खैरावर में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 333 रकवा 0.603 हे0 में से 0.166 हे0 को ग्राम ब्यौना में उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या 50 रकबा 0.166 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति खैरावर द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	खैरावर	333	0.603 में से 0.166	श्रेणी 6–4/खलिहान	333	0.166	श्रेणी 5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2			ब्यौना	50	0.166	श्रेणी 5–1/नवीन परती	90	0.166	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2575/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनाँक 31 मार्च, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति मेहशपुरा के प्रस्ताव दिनाँक 06 दिसम्बर, 2021 द्वारा ग्राम महेशपुरा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 301 रकवा 0.320 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 45मि0 रकबा 5.086 हे0 में से 0.160 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति महेशपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	महेशपुरा	301	0.320 में से 0.160	श्रेणी 6–2/खलिहान	301	0.160	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				45 मि0	5.086 में से 0.160	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	45 मि0	0.160	श्रेणी 6–2/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2576/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनाँक 31 मार्च, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति सलैया खुर्द के प्रस्ताव दिनाँक 02 फरवरी, 2022 द्वारा ग्राम सलैया खुर्द में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 224 रकवा 0.304 हे0 में से 0.162 हे0 को ग्राम महेशपुरा में उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 45मि0 रकबा 5.086 हे0 में से 0.162 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सलैया खुर्द द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	सलैया खुर्द	224	0.304 में से 0.162	श्रेणी 6–4/खलिहान	224	0.162	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2			महेशपुरा	45 मि0	5.086 में से 0.162	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	45 मि0	0.162	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2577/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनाँक 31 मार्च, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति सिकन्दरपुर के प्रस्ताव दिनाँक 09 दिसम्बर, 2021 द्वारा ग्राम लालपुरा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 35 रकवा 0.170 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 6(4) की भूमि गाटा संख्या 5 रकबा 0.429 हे0 में से 0.170 हे0 बेहड़ से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सिकन्दरपुर द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	लालपुरा	35	0.170	श्रेणी 6–4/खलिहान	35	0.170	श्रेणी 6–4/बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	''	''	''	5	0.429 में से 0.170	श्रेणी 6–4/बेहड़	5	0.170	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2578/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–उपजिलाधिकारी कांच की आख्या दिनांक 31 मार्च, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति कैंथी के प्रस्ताव दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 द्वारा ग्राम कैंथी में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा-संख्या-172क रकवा 0.360 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 243 रकबा 0.251 हे0 में से 0.186 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति कैंथी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कैंथी	172क	0.360 में से 0.160	6–4/खलिहान	172क	0.160	5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	243	0.251 में से 0.186	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	243	0.186	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2579/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति गंगथरा के प्रस्ताव दिनाँक 10 जनवरी, 2022 द्वारा ग्राम गंगथरा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-37 रकवा 0.603 हे0 में से 0.162 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या-8 रकबा 0.275 हे0 में से 0.162 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति गंगथरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	गंगथरा	37	0.603 में से 0.162	श्रेणी 6–4/खलिहान	37	0.162	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	''	''	''	8	0.275 में से 0.162	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	8	0.162	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2587/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनाँक 24 मार्च, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति दशहरी के प्रस्ताव दिनाँक 21 मार्च, 2022 द्वारा ग्राम दशहरी में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-302 रकवा 0.081 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या-185 क्षेत्रफल 0.101 हे0 में से 0.081 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति दशहरी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	दशहरी	302	0.081	श्रेणी 6–2/खलिहान	302	0.81	श्रेणी 5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	185	0.101 में से 0.081	श्रेणी 5–1/नवीन परती	185	0.81	श्रेणी 6–2/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2588/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनांक 26 मार्च, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति अकोढ़ी के प्रस्ताव दिनाँक 05 मार्च, 2022 द्वारा ग्राम भभुवा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-390 रकवा 0.454 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या-28 क्षेत्रफल 0.535 हे0 में से 0.160 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति अकोढ़ी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	भभुवा	390	0.454 में से 0.160	6–2/खलिहान	390	0.160	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				28	0.535 में से 0.160	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	28	0.160	श्रेणी 6–2/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0प्र0, राजस्व संहिता, की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2589/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनांक 15 मार्च, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति जौरा खेड़ा के प्रस्ताव दिनाँक 31 जनवरी, 2022 द्वारा ग्राम जौरा खेड़ा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0, की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी- 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-381 रकवा 0.922 हे0 में से 0.121 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या-205/2 क्षेत्रफल 0.121 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति जौरा खेड़ा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	जौरा खेड़ा	381	0.922 में से 0.121	6–4/खलिहान	381	0.121	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				205/2	0.121	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	205/2	0.121	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2590/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनांक 21 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति लमसर के प्रस्ताव दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम लमसर में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0, की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-76 रकवा 1.914 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-83 क्षेत्रफल 2.732 हे0 में से 0.160 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति लमसर द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	लमसर	76	1.914 में से 0.160	6–2/खलिहान	76	0.160	श्रेणी 5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	83	2.732 में से 0.160	5–1/नवीन परती	83	0.160	श्रेणी 6–2/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता, की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2591/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022—उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनांक 01 जनवरी, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति खुटमिली के प्रस्ताव दिनाँक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा ग्राम खुटमिली में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-224 रकवा 0.300 हे0 में से 0.162 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या-397 रकबा 0.182 हे0 में से 0.162 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति खुटमिली द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	खुटमिली	224	0.300 में से 0.162	6—4/खलिहान	224	0.162	श्रेणी 5—3—ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	397	0.182 में से 0.162	श्रेणी 5—3—ड़/बंजर	397	0.162	श्रेणी 6—4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2592/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	सुरौला	173	हेक्टेयर 0.849 में से 0.160	5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2593/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	सुरौली मुस्तकिल	130-क	हेक्टेयर 0.688 में से 0.160	5–2/पुरानी परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2594/7-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	कहटा हमीरपुर	712	हेक्टेयर 0.210 में से 0.160	5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

05 मई, 2022 ई0

सं0 2617/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनांक 29 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति सतरहजू के प्रस्ताव दिनांक 27 मार्च, 2022 द्वारा सतरहतू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-733 क्षेत्रफल 0.405 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 6(4) की भूमि गाटा संख्या-706 रकबा 0.330 हे0 में से 0.160 हे0 बेहड़ से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सतरहजू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालौन	कालपी	सतरहजू	733	हेक्टेयर 0.405 में से 0.160	श्रेणी 6–2 / खलिहान	733	हेक्टेयर 0.160	श्रेणी 6–4 / बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	706	0.330 में से 0.160	श्रेणी 6–4 / बेहड़	706	0.160	श्रेणी 6–2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता, की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2619 / 7-भूलेख / डी0एल0आर0सी0 / 2022–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	पड़कुला	81	हेक्टेयर 0.154	श्रेणी 5–3–ड़ / बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2620/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022—उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 26 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति हुसेपुरा (सुरई) के प्रस्ताव दिनांक 16 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम हुसेपुरा (सुरई) में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-280 क्षेत्रफल 0.154 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या-275 क्षेत्रफल 1.259 हे0 में से 0.154 हे0 नई परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति हुसेपुरा (सुरई) द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	हुसेपुरा (सुरई)	280	0.154	श्रेणी 6—4/खलिहान	280	0.154	श्रेणी 5—1/नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	''	''	''	275	1.259 में से 0.154	श्रेणी 5—1/नई परती	275	0.154	श्रेणी 6—4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता, की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2621/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022—उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 26 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति अटागाँव के प्रस्ताव दिनांक 22 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम अटागाँव में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-161 क्षेत्रफल 1.453 हे0 में से 0.121 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या-395 क्षेत्रफल 0.121 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति अटागाँव द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	अटागाँव	161	1.453 में से 0.121	श्रेणी 6—2/ खलिहान	161	0.121	श्रेणी 5—3—ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	395	0.121	श्रेणी 5—3—ड़/बंजर	395	0.121	श्रेणी 6—2/ खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता, की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2622/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 26 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति कुरौती के प्रस्ताव दिनांक 22 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम कुरौती में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-297 क्षेत्रफल 0.235 हे0 में से 0.134 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-98 क्षेत्रफल 0.134 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति कुरौती द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	कुरौती	297	0.235 में से 0.134	श्रेणी 6–4/ खलिहान	297	0.134	श्रेणी 5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	''	''	''	98	0.134	श्रेणी 5–1/नवीन परती	98	0.134	श्रेणी 6–4/ खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2625/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	ऊद	247	0.154	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2626/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	ऐंको	106	0.599 में से 0.160	5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2627/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0/2022—शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	बरियापुर	146	0.672 में से 0.160	6—4/बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2628/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0—उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनांक 28 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति सिकरी राजा के प्रस्ताव दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा सिकरी राजा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-236 क्षेत्रफल 1.169 हे0 में से 0.158 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-341 क्षेत्रफल 0.158 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सिकरी राजा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	सिकरी राजा	236	1.169 में से 0.158	श्रेणी 6–4 / खलिहान	236	0.158	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				341	0.158	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	341	0.158	श्रेणी 6–4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

13 मई, 2022 ई0

सं0 2652 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–नगर पंचायत एट के प्रस्ताव दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा स्थानीय निकाय एट में मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी (एम0आर0एफ0) केन्द्र के निर्माण हेतु स्थानीय निकाय एट में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6(2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 605 क्षेत्रफल 1.372 हे0 को स्थानीय निकाय एट में से अन्यत्र उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या / क्षेत्रफल 54 / 2 / 0.032, 55 / 3 / 0.085, 56 / 3 / 0.057, 350 / 1 / 0.105 व 612 / 0.939 हे0 नवीन परती तथा बंजर के गाटा सं0 / रकबा 350 / 2 / 0.057 हे0 कुल 1.372 हे0 से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को स्थानीय एट द्वारा पारित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	एट	605	1.372	श्रेणी 6–2 / खलिहान	605	1.372	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी सेण्टर (एम0 आर0 एफ0 केन्द्र)
2	,,	,,	,,	54 / 2	0.032	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	54 / 2	0.032	श्रेणी 6–2 / खलिहान	
				55 / 3	0.085		55 / 3	0.085		
				56 / 3	0.057		56 / 3	0.057		
				350 / 1	0.105		350 / 1	0.105		
				612	0.939		612	0.939		
				350 / 2	0.057		350 / 2	0.057		
						बंजर				
					1.372			**1.372**		

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी उरई उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2656 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	गिदवासा	122	0.291 में से 0.162	5–1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2657/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	गोरा कलां	779	0.354 में से 0.160	5–1/ नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

20 मई, 2022 ई0

सं0 2566/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनाँक 28 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति धनौराकला के प्रस्ताव दिनाँक 29 नवम्बर, 2021 द्वारा धनौराकला में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-546 क्षेत्रफल 0.737 हे0 में से 0.138 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-365 क्षेत्रफल 0.069 हे0 नवीन परती एवं श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 1304 क्षेत्रफल 0.069 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति धनौराकला द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	धनौराकला	546	0.737 में से 0.138	श्रेणी 6–2 / खलिहान	546	0.069	श्रेणी 5–1 / नवीन परती एवं श्रेणी 5–3–ड़ / बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
								0.069		
2	,,	,,	,,	365	0.069	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	365	0.069	श्रेणी 6–2 / खलिहान	
				1304	0.069	श्रेणी 5–3–ड़ / बंजर	1304	0.069	श्रेणी 6–2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2567 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 06 मई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति कुदरा बुजुर्ग के प्रस्ताव दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा ग्राम कुदरा बुजुर्ग में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-541 क्षेत्रफल 0.866 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम कुदरा खुर्द में उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-151 / 231 क्षेत्रफल 0.210 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति कुदरा बुजुर्ग द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कुदरा बुजुर्ग	541	0.866 में से 0.160	श्रेणी 6–4 / खलिहान	541	0.160	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	151 / 2 31	0.210	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	151 / 2 31	0.210	श्रेणी 6–4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2568 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 06 मई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति खकसीस के प्रस्ताव दिनांक 16 मार्च, 2022 द्वारा खकसीस में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-324 क्षेत्रफल 0.813 हे0 में से 0.162 हे0 को ग्राम कादिलपुरा में उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-22 क्षेत्रफल 0.336 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति खकसीस द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालौन	कोंच	खकसीस	324	हेक्टेयर 0.813 में से 0.162	श्रेणी 6–2 / खलिहान	324	हेक्टेयर 0.162	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2			कादिलपुरा	22	0.336	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	22	0.336	श्रेणी 6–2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2569 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	बसरेही	368	हेक्टेयर 0.405 में से 0.160	5–1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2570/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	सिकरी रहमानपुर	583	हेक्टेयर 0.630 में से 0.160	5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2571/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	कस्वा	1 ण	हेक्टेयर 4.491 में से 0.162	6–4/बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2572/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 26 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति ईंगुई के प्रस्ताव दिनांक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम ईंगुई माधौगढ़ में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-60क क्षेत्रफल 0.239 हे0 में से 0.154 हे0 को ग्राम में अन्यत्र उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-93/457 क्षेत्रफल 0.154 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति ईंगुई द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	ईंगुई माधौगढ़	60क	0.239 में से 0.154	श्रेणी 6–4/खलिहान	60क	0.154	श्रेणी 5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	93/457	0.154	श्रेणी 5–1/नवीन परती	93/457	0.154	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2573/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 26 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति कमसेरा के प्रस्ताव दिनांक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम कमसेरा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 323 क्षेत्रफल 0.854 हे0 में से 0.105 हे0 को ग्राम में अन्यत्र उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 450ग क्षेत्रफल 0.105 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति कमसेरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	कमसेरा	323	0.854 में से 0.105	श्रेणी 6–4/खलिहान	323	0.105	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	450ग	0.105	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	450ग	0.105	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

प्रियंका निरंजन,

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

24 जून, 2023 ई0

सं0 1456/आठ–वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड–9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल, चन्दौसी शाखा के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम सिरसी में कुल 0.6209 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

सामाजिक समाघात लागू नहीं है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	सिरसी	1359	0.0085
				1361	0.0635
				1822	0.2564
				1827/1	0.2925
				योग. .	**0.6209**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सम्भल (बहजोई)।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

June 24, 2023

No. 1456/VIII-S.L.A.O./Moradabad/23--Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Sirsi, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the appropriate government which has approved its recommendation on dated …….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not applicable-

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Sirsi	1359	0.0085
				1361	0.0635
				1822	0.2564
				1827/1	0.2925
				TOTAL	**0.6209**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Sambhal (*Bahjoi*).

कार्यालय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

दिनांक : 16 जून, 2023 ई0

सं0 145 ख(निदे0)/2023–लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या–495(3)/04/पी0/एस–9/2020–21 दिनांक 12 जून, 2023 के अनुक्रम में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक निदेशक (लेखन सामग्री) के रिक्त पद पर प्रोन्नति के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय एवं सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली–1981 के सुसंगत नियमों एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सपरामर्श से अयोजित चयन एवं आयोग की संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के प्रति तैनाती स्थान पर वेतनमान मैट्रिक्स लेबल–7, रु0–44,900/– से रु0–1,42,400/– (ग्रेड पे0–4,600) में नितान्त अस्थाई रूप से सहायक निदेशक (लेखन सामग्री) के पद पर पदोन्नति करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने का आदेश किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम/सर्वश्री	चयन वर्ष	तैनाती स्थान
1	श्री सत्येन्द्र सिंह	2020–21	मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 प्रयागराज

दिनांक : 23 जून, 2023 ई0

सं0 149 ख(निदे0)/2023–लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या–238(8)/01/डी0आर0/एस–9/2016–17 दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुक्रम में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक निदेशक (मुद्रण) के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय एवं सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली–1981 के सुसंगत नियमों के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित तैनाती स्थान पर वेतनमान रु0–9,300/– से रु0 34,800/– पे मैट्रिक्स लेबल–8, (रु0–47,600/– से रु0–1,51,100/–) ग्रेड पे0 4,800/– में नितान्त अस्थाई रूप से सहायक निदेशक (मुद्रण) के पद पर नियुक्ति करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने का आदेश किया जाता है :–

क्र0 सं0	रजिस्टेशन नम्बर	नाम	तैनाती स्थान
1	20/52420032044	श्री विनय सिंह गौतम	राजकीय मुद्रणालय, रामपुर।
2	9/52450027979	श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव	राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी।
3	5/52430023823	श्री धर्मेन्द्र कुमार	राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।
4	19/52430000716	श्री वेद प्रकाश	राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज।

उपरोक्त अभ्यर्थियों/कार्मिकों को 15 दिवसों में कार्यभार ग्रहण करना एवं कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1–पूर्व में अन्यत्र कार्यरत रहने की स्थिति में तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने सम्बन्धी अभिलेख।

2–सभी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ मूल-प्रमाण-पत्र सहित।

3–केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

4–स्वंय के हस्ताक्षर से अपने चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

5–राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साईज की दो फोटो।

दिनांक : 30 जून, 2023 ई0

सं0 153 ख(निदे0)/2023–लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या–238(8)/01/डी0आर0/ एस–9/2016–17 दिनांक 31 मार्च 2023 के अनुक्रम में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक निदेशक (मुद्रण) के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय एवं सम्बद्ध अधिष्ठान (राजकीय) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली–1981 के सुसंगत नियमों के अनुसार निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित तैनाती स्थान पर वेतनमान रु0 9,300/– से रु0 34,800/– पे मैट्रिक्स लेबल–8, रु0–47,600/– से रु0–1,51,100/– (ग्रेड पे0–4,800) में नितान्त अस्थाई रूप से सहायक निदेशक (मुद्रण) के पद पर नियुक्ति करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने का आदेश किया जाता है :–

क्र0 सं0	रजिस्टेशन नंबर	नाम/सर्वश्री	तैनाती स्थान
1	15/52450052993	श्री सेवालाल	राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, उ0प्र0, लखनऊ।

उपरोक्त अभ्यर्थियों/कार्मिकों को 15 दिवसों में कार्यभार ग्रहण करना एवं कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1–पूर्व में अन्यत्र कार्यरत रहने की स्थिति में तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने सम्बन्धी अभिलेख।

2–सभी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ मूल-प्रमाण-पत्र सहित।

3–केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

4–स्वंय के हस्ताक्षर से अपने चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

5–राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साईज की दो फोटो।

अभिषेक प्रकाश,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज।

प्रभार प्रमाण-पत्र

29 मार्च, 2023 ई0

सं0 स्था0 निदे0–II–368–अधि0 वर्ग/2023–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के आदेश संख्या 288/77–2–2023–11 (मुद्रण)/2017 लखनऊ दिनांक 24 मार्च 2023 के अनुपालन में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत राजकीय मुद्रणालच, प्रयागराज के कार्मिक अधिकारी के पद पर दिनांक 24 मार्च, 2023 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किया गया–

मुक्त अधिकारी	–
मोचक अधिकारी	निलाभ सिंह, कार्मिक अधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

अभिषेक प्रकाश,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज।

प्रभार प्रमाण-पत्र

27 जून, 2023 ई0

सं0 143 ख/2023–प्रमाणित किया जाता है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या–238(8)/01/डी0आर0/ एस–9/2016–17 दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुक्रम में निदेशालय के कार्यालय आदेश सं0–149 ख (निदे0)/23 दिनांक 23 जून, 2023 के अनुपालन में सहायक निदेशक (मुद्रण) के रिक्त पद पर वेतनमान रु0–9,300–34,800, ग्रेड पे0 4,800/– पे मैट्रिक्स लेबल–8, (रु0 47,600–1,51,100) में, जैसा कि व्यक्त किया गया है, सहायक निदेशक (मुद्रण) राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज का कार्यभार दिनांक 27 जून, 2023 के पूर्वान्ह से ग्रहण किया जाता है–

मोचक अधिकारी	वेद प्रकाश, सहायक निदेशक (मुद्रण), राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज।
मुक्त अधिकारी	–

श्याम नारायण,
उप निदेशक,
(प्रभारी संयुक्त निदेशक),
राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

शुद्धि-पत्र

दिनांक 30 मई, 2023 ई0

सं0 2359/जी0/610/2016-17—जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरदोई के पत्र संख्या-700/पी0के0-नया प्रसार/2020 दिनांक 25 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन की अनुमति के उपरान्त जनपद हरदोई, परगना मल्लावॉ, तहसील बिलग्राम के ग्राम गंज जलालाबाद को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-4क (2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या-5187/जी0-610/2016-17 दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 निर्गत की गयी थी। पुनः ग्राम गंज जलालाबाद के स्थान पर राजस्व अभिलेखों के अनुसार शुद्ध नाम जलालाबाद संशोधित कर तदनुसार विज्ञप्ति निर्गत करने सम्बन्धी जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरदोई के पत्र दिनांक 02 मई, 2023 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1/318042/एक-8-2023-रा0-8/1-8099 /44/2022 दिनांक 18 मई, 2023 द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार पूर्व निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 में अंकित जनपद हरदोई, परगना मल्लावॉ, तहसील बिलग्राम के ग्राम गंज जलालाबाद के स्थान पर राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम का शुद्ध नाम जलालाबाद पढ़ा जाय शेष तथ्य यथावत् रहेंगे।

प्रभु एन0 सिंह,
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—15 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 17, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत,
कार्यालय, जिला पंचायत, हरदोई
भवनों के नक्शों एवं निर्माण सम्बन्धी उपविधियां

20 जून, 2023 ई0

सं0 1921/21ए-04/2022-23–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (1) एवं धारा-239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, हरदोई ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए एवं जनपद के विनियमित क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों को छोड़ते हुये शेष ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी हैं–

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो ।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे–रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला-फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जे सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे–पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो ।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाली प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(अ) अभियंता-अभियंता, जिला पंचायत

(ब) अवर अभियंता इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर-अभियंता से है जिसको अभियंता जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी जिला पंचायत से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन-वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेट-बैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउण्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हरदोई से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) से संघटित जिला पंचायत हरदोई से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत हरदोई से है।

24–बहुमंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल हो तो, वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी कारनर्स या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पैट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलत होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे, जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती है, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कोरोसिव गैसें पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों से विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिये प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चार दीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहाँ पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा जोकि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत हरदोई के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी ।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा ।

1–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यता नहीं होगी ।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गाँव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्ण जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी ।

(ब) सफेदी व रंग रोशन के लिये।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिये।

(द) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निमाण के लिये।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निमाण।

(य) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भूखण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचानायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा–

1–स्थान का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगाः–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थान के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे–विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(द) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे–आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंड-स्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता ।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहुमंजिली भवन (मल्टीस्टोरी) चार मंज़िल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण ठिकाने (Location).

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विषिष्टियाँ आदि ।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों ।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instruction)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है ।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य Hog होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी । स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है ।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक समान (Good)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.00 मीटर से 16.00 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.00 मीटर ऊँचाई तक 6.00 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.00 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.00 मीटर बढ़ाई जायेगी । भू-खण्ड के डेड एण्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.00 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा, किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

1–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है–

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट ।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि ।

2–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए ।

(ग) ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए ।

(घ) रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मीटर आकर 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए ।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

3–(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot/Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा ।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी ।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

4–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी, जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

5–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ड.) रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टिम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेल वोटर हार्वेस्टिंग हसस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (F A R)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (F A R) के मानक निम्नवत होंगें।

क्र0 सं0	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो एफ0ए0आर0	भवन की अधिकतम ऊँचाई मीटर
1	2	3	4	5
1	(1) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15
2	(2) आवासीय भवन भू-खण्ड 500–2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15
	ग्रुप हाउसिंग योजना रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	12

1	2	3	4	5
4	व्यवसायिक भवन			
	(i) सुविधा (Convenient) शांपिंग केन्द्र, शांपिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	21
	(ii) बैक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	18
	(iii) वेयरहाउस गोदाम	60	1.50	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	10
5	संस्थागत एवं भौक्षणिक भवन			
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	10
(i)	सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	10
(ii)	घर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	6
7	कार्यालय भवन, सरकारी अर्द्धसरकारी, कारॅपोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रैंज सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	10
9	नर्सरी	10	0.50	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6

(छ) सेट बैक (Set Back)

क्र0 सं0	भू-खण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर	सामने (Front) मीटर	साइड (Side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैड (Landscaping) स्केपिंग	खुला स्थान % तक
1	150 तक	3.00	0.00	1.50	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.00	0.00	3.00	तदैव	25
3	301–500	4.50	3.00	3.00	तदैव	25
4	501–2000	6.00	3.00	3.00	तदैव	25
5	2001–6000	7.50	4.50	6.00	तदैव	25
6	6001–12000	9.00	6.00	6.00	तदैव	25
7	12001–20000	12.00	7.50	7.50	तदैव	50
8	20001–40000	15.00	9.00	9.00	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.00	12.00	12.00	तदैव	50

(ज) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक (ECU) प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षिणिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक (ECU) प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक (ECU) प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक (ECU) प्रति 2 अतिथि रूप के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक (ECU) प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक (ECU) प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक (ECU) प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(झ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यवसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा ।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी० राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी ।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुंच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए ।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा ।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के समक्ष प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी ।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग–4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा, जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि ।

(ञ) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3-7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1-8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ट) मोबाइल टावर्स की स्थापना

क–मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी। ख–जनरेटर केवल 'साइलैंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

ग–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ–जहाँ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इ–सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा ।

च–इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स, रेडिया विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए प्रथम बार शुल्क के रूप में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा करने होगें। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार के शुल्क का 10 % प्रति वर्ष जमा करने होंगे ।

ज–शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

(ठ) नक्शे स्वीकृति की दरें

क– **आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन**

नक्शा स्वीकृत की दरें सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख–**व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन**

नक्शा स्वीकृत की दरें सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग– (i) भूमि की प्लाटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बॉटना ।

(ii) भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि ।

(iii) भूमि का उपयोग-भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईधन आर०सी०सी० पाईप आदि ।

(iv) किसी परियोजनाओं का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग–(क) से (घ) तक दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ–पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी ।

ड–स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

च–बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क की गणना की जाएगी।

छ–यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

ज–उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fee) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fee) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fee) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी ।

झ–पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

ण–बाउण्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 5 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट– (शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

(ड) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी ।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पत्र उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्थर पर आवेदक मांग–पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकि आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे, जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा ।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी ।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्ही कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ती के 30 दिन के भीतर देना होगा। एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी ।

2–भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा ।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा ।

4–निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, के 5 किमी0 की परिधि में 30 मीटर से ऊचे भवन के आवेदन-कर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है ।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा ।

7–मल्टी लेवर पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है !

क–अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह, अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पद, वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

ख–पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

ग–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत में स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेन्स/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(थ) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हरदोई यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1,000 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रूपये 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

डा0 रोशन जैकब,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग-3–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 17, 1945 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

वर्ष 2023 की हाईस्कूल कम्पार्टमेन्ट/इम्प्रूवमेन्ट एवं इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के लिये

परीक्षा कार्यक्रम

दिवस तथा दिनांक	समय	विषय तथा प्रश्न-पत्र हाईस्कूल	विषय तथा प्रश्न-पत्र इण्टरमीडिएट
1	2	3	4
शनिवार 22 जुलाई, 2023	प्रातः 8.00 बजे से 11.15 बजे तक	हिन्दी, प्रारम्भिक हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, गणित, गृहविज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये), विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, वाणिज्य, चित्रकला, कृषि, सिलाई, कम्प्यूटर	—
	सायं 2.00 बजे से 5.15 बजे तक	———	हिन्दी, सामान्य हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, संगीत गायन, संगीत वादन, चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्रावैधिक), रंजनकला, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर, ग्रन्थशिल्प, सिलाई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)–प्रथम प्रश्न-पत्र–(कृषि भाग-1 के लिये), कृषि वनस्पति विज्ञान–द्वितीय प्रश्न-पत्र–(कृषि भाग-1 के लिये),

1	2	3	4
			कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान–तृतीय प्रश्न-पत्र–(कृषि भाग-1 के लिये), कृषि अभियंत्रण–चतुर्थ प्रश्न-पत्र–(कृषि भाग-1 के लिये), कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी–पंचम प्रश्न-पत्र–(कृषि भाग-1 के लिये), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)–शष्टम् प्रश्न-पत्र–(कृषि भाग-2 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान–अष्टम् प्रश्न-पत्र–(कृषि भाग-2 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान–नवम् प्रश्न- पत्र–(कृषि भाग-2 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान–दशम् प्रश्न- पत्र–(कृषि भाग-2 के लिये), सामान्य आधारिक विषय, फल एवं खाद्य संरक्षण–प्रथम प्रश्न-पत्र, फल एवं खाद्य संरक्षण–द्वितीय प्रश्न- पत्र, फल एवं खाद्य संरक्षण–तृतीय प्रश्न-पत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–प्रथम प्रश्न-पत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–द्वितीय प्रश्न-पत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–चतुर्थ प्रश्न-पत्र, परिधान रचना एवं सज्जा–पंचम प्रश्न-पत्र, धुलाई तथा रंगाई–प्रथम प्रश्न-पत्र, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी–प्रथम प्रश्न-पत्र, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी–पंचम प्रश्न-पत्र, टेक्सटाइल डिजाइन–प्रथम प्रश्न-पत्र, बुनाई तकनीक–द्वितीय प्रश्न-पत्र, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध–प्रथम प्रश्न-पत्र, पुस्तकालय विज्ञान–प्रथम प्रश्न-पत्र, पुस्तकालय विज्ञान–पंचम प्रश्न-पत्र, रंगीन फोटोग्राफी–प्रथम प्रश्न-पत्र, रंगीन फोटोग्राफी–द्वितीय प्रश्न-पत्र, रंगीन फोटोग्राफी–तृतीय प्रश्न-पत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन–प्रथम प्रश्न-पत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन–चतुर्थ प्रश्न-पत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन–पंचम प्रश्न-पत्र, आटोमोबाइल्स–प्रथम प्रश्न-पत्र, डेरी प्रौद्योगिकी–प्रथम प्रश्न-पत्र, फसल सुरक्षा सेवा–प्रथम प्रश्न-पत्र, पौधशाला–प्रथम प्रश्न-पत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण–प्रथम प्रश्न-पत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण–चतुर्थ प्रश्न-पत्र, बैंकिंग–प्रथम प्रश्न-पत्र, आशुलिपि एवं टंकण–प्रथम प्रश्न-पत्र, आशुलिपि एवं टंकण–द्वितीय प्रश्न-पत्र, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी–प्रथम प्रश्न-पत्र, मुद्रण–प्रथम प्रश्न-पत्र।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग 4–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 जुलाई, 2023 ई० (आषाढ़ 17, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

मेरे इण्टरमीडिएट वर्ष 2013-14 के अंक पत्र में त्रुटिवश SINGH NITEESH नाम दर्ज है। सही नाम है। यही सही नाम SINGH NITEESH DINESH KUMAR है। ग्राम-गछलीगांव, पोस्ट बदलापुर, खुर्द, बदलापुर, जौनपुर।

Niteesh Singh.

सूचना

सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम अतुलिका राय था, जो अब विवाह के पश्चात् अतुलिका पाण्डेय हो गया है। भविष्य में मुझे अतुलिका पाण्डेय पत्नी श्री राहुल पाण्डेय, निवासी-47 के/1ए, सुंदर बाग, शिवकुटी, तेलियरगंज, प्रयागराज के नाम से जाना-पहचाना जाय।

अतुलिका पाण्डेय।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम राधे मोहन शुक्ला है, जो उनके आधार कार्ड, पेन-कार्ड में भी अंकित है। मेरे कुछ अभिलेखों में मेरे पिता का नाम आर0एम0 शुक्ला अंकित है तथा कुछ अभिलेखों में राधे मोहन शुक्ला अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे पिता का ही है।

भूमिका शुक्ला,
912/2डी सद्भावना नगर कतवारूका पूरा,
मिर्जापुर, पिन–231001 ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 गैलेक्सी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, पता जगतपुर लाला बेगम, अपोजिट, रोहिलखंड पुलिस चौकी, बरेली उ0प्र0 243001 जिसकी पंजीकरण सं0 BAR/0010220 है, यह फर्म दिनांक 15 सितम्बर, 2021 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार महेश चंद्र गुप्ता पुत्र श्री नन्हें लाल गुप्ता (उर्फ नन्हें लाल) निवासी ग्राम शाहपुर बनियान, शाहपुर, बरेली उ0प्र0 243506 दिनांक 31 मार्च, 2023 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये है तथा महेश चंद्र गुप्ता का फर्म पर व फर्म का महेश चंद्र गुप्ता पर कोई शेष बकाया नहीं है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार क्रमशः

श्री हिमांशु शर्मा, श्री गजेंद्र पाल सिंह तथा श्री अवशेष कुमार है। एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के संसोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

हिमांशु शर्मा,
साझेदार,
मे0 गैलेक्सी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
पता–जगतपुर लाला बेगम, अपोजिट,
रोहिलखंड पुलिस चौकी, बरेली उ0प्र0 243001
पंजीकरण सं0– BAR/0010220

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम अज़ीम हुसैन अंकित है तथा कुछ अभिलेखों में अज़ीम शम्सी अंकित है, अज़ीम हुसैन एवं अज़ीम शम्सी दोनों एक ही व्यक्ति हैं तथा एक ही व्यक्ति के नाम है, मेरा सही नाम अज़ीम हुसैन है, भविष्य में मुझे अज़ीम हुसैन नाम से जाना व पहचाना जाये।

अज़ीम हुसैन,
पुत्र श्री मजकुर हुसैन,
निवासी-74–बी, फूल वालान,
निकट ऐवाने मजहर, बरेली (उ0प्र0),
पिन कोड-243003

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मे0 लोहिया डेवलेपर्स, एल-589, शास्त्री नगर, जनपद मेरठ की साझेदारी में श्री मुनेन्द्र सिंह, श्री जगमाल सिंह एवं श्री मनुज कुमार साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को श्री जगमाल सिंह फर्म की साझेदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुए हैं। संशोधित साझीदारी दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के अनुसार श्री मुनेन्द्र सिंह एवं श्री मनुज कुमार साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मुनेन्द्र सिंह,
साझीदार,
मे0 लोहिया डेवलेपर्स,
एल-589, शास्त्री नगर, जनपद-मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 शिव कंस्ट्रक्शन, HIG 1/162 रामगंगा बिहार फेस-1, मुरादाबाद (यू0पी0) जिसकी पंजीकरण सं0 MBD-3789 है। फर्म में दो पार्टनर श्री राजपाल सिंह एवं श्रीमती लोकेश देवी थे। पार्टनर श्री राजपाल सिंह ने दिनांक 01 जुलाई, 2023 को त्याग-पत्र/रिटायरमेन्ट लेकर फर्म से अपनी साझीदार समाप्त कर ली है। उसी दिनांक 01 जुलाई, 2023 को श्री सुमित चौधरी एवं शिवानी चौधरी शामिल हो गये हैं। त्याग-पत्र/रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्रीमती लोकेश देवी, श्री सुमित चौधरी एवं कु0 शिवानी चौधरी हैं।

लोकेश देवी,
''मे0 शिव कंस्ट्रक्शन'',
HIG 1/162 रामगंगा बिहार फेस–1,
मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मे0 विश्वनायक लॉजिस्टिक्स, बी-29, सैनिक हाउसिंग सोसाइटी, सरोजनी नगर, जिला लखनऊ से पंजीकृत है। फर्म में दो साझेदार श्री विष्णु कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 राम प्रसाद पाण्डेय व श्री अमित पाण्डेय पुत्र श्री विष्णु कुमार पाण्डेय साझेदार थे। जिसमें से फर्म के प्रथम साझेदार दिनांक 12 जून, 2023 को श्री विष्णु कुमार पाण्डेय फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा इसी दिनांक 12 जून 2023 को फर्म की साझेदारी में एक नये साझेदार श्री अवनीत कुमार पाण्डेय शामिल हो गये हैं। वर्तमान में श्री अमित पाण्डेय एवं श्री अवनीत कुमार पाण्डेय फर्म में साझेदार हैं। जिसकी सूचना दी जा रही है।

अमित पाण्डेय,
साझेदार,
''मे0 विश्वनायक लॉजिस्टिक'',
जिला–लखनऊ।

सूचना

फर्म मे0 तोमर रियल एस्टेट प्रमोटर्स 17 कृष्णा एन्क्लेव उखर्रा मार्ग देवरी रोड, आगरा-282001, पत्रावली संख्या एजीआर-0014095 में दिनांक 25 जून, 2023 को

श्री रमेश चंद शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा निवासी-68, नरोततम कुंज मधु नगर आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मलित हुये हैं। वर्तमान फर्म में भागीदारी श्री रामनिवास तोमर, श्री मिथुन तोमर, श्री अजय तोमर, श्री मानवेन्द्र तोमर, श्री रमेश चंद शर्मा हैं।

रामनिवास तोमर,
साझेदार,
मे0 तोमर रियल एस्टेट प्रमोटर्स,
17 कृष्णा एन्क्लेव उखर्रा मार्ग,
देवरी रोड, आगरा–282001

सूचना

सूचित किया जाता है कि दिनांक 02 मई, 2023 से भागीदारी फर्म मे0 ओम पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पता-डी-22, नवीपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, कोसी कोटवान इण्डस्ट्रियल एरिया, कोसी कला, मथुरा का नाम परिवर्तन कर मे0 जैनको इण्डिया कर दिया गया है। फर्म के भागीदार श्रीमती कामिनी अग्रवाल, श्री अखिल जैन, श्री विवेक बंसल, श्री गौरव खण्डेलवाल तथा श्री अंकुर जैन हैं।

कामिनी अग्रवाल,
भागीदार,
मे0 ओम पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
नया नाम-मे0 जैनको इण्डिया,
पता-डी-22 नवीपुर इण्डस्ट्रियल एरिया,
कोसी कोटवान इण्डस्ट्रियल एरिया,
कोसी कलॉ, मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मलूक चन्द्र कॉटन एण्ड ऑयल मिल, बारह द्वारी अलीगढ़ में स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री दिनेश चन्द अग्रवाल, श्री नरेन्द्र मोहन अग्रवाल, निवासीगण रामगंज अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 11 मार्च, 2016 को संचालन की थी। दिनांक 03 अप्रैल, 2023 से श्री शिवांग मोहन अग्रवाल पुत्र श्री नरेन्द्र मोहन अग्रवाल निवास 7/46 पत्थर बाजार, अलीगढ़ फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्री दिनेश चन्द अग्रवाल, श्री नरेन्द्र मोहन अग्रवाल, श्री शिवांग मोहन अग्रवाल हम तीनों साझेदार के रूप में संचालित करेंगे तथा फर्म का पुराना पता–बारह द्वारी अलीगढ़ को परिवर्तित कर नया पता 7/46 पत्थर बाजार, अलीगढ़ कर दिया गया है।

दिनेश चन्द अग्रवाल,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 राज हास्पिटलिटीज, 747 डेम्पीयर नगर मथुरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री अतिरेक गर्ग पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग निवासी-1980, डेम्पीयर नगर, मथुरा, मे0 ओनेस्टी होम कंस्ट्रशन कं0 एल0एल0पी0, 421, मेकर चैम्बर-5, नरीमन पांइट, मुम्बई, मे0 शुभी कंस्ट्रक्शन एल0एल0पी0, 421, मेकर चैम्बर-5, नरीमन पांइट, मुम्बई और श्री शाम सुन्दर अग्रवाल पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी-1980 डेम्पीयर नगर, मथुरा साझेदार है। जिसमें से मे0 ओनेस्टी होम कंस्ट्रक्शन कं0 एल0एल0पी0, 421, मेकर चैम्बर-5, नरीमन पांइट, मुम्बई, दिनांक 22 मार्च, 2022 को उक्त फर्म से स्चेच्छा से अवकाश ले चुके हैं, जिसका अवकाश प्रलेख दिनांक 28 मार्च, 2022 को लिखा गया है और फर्म का पुर्नगठन दिनांक 23 मार्च, 2022 को लिखा गया है। वर्तमान में श्री अतिरेक गर्ग पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग, निवासीगण-1980, डेम्पीयर नगर, मथुरा, मे0 शुभी कंस्ट्रक्शन एल0एल0पी0, 421, मेकर चैम्बर-5, नरीमन पांइट, मुम्बई और श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी-1980 डेम्पीयर नगर, मथुरा साझेदार हैं।

श्याम सुन्दर अग्रवाल,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम BHUPENDER SINGH पुत्र स्व0 करम सिंह है। त्रुटिवश सेवा पुस्तिका/PPO BHUPENDAR SINGH में मेरा नाम अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम BHUPENDER SINGH भूपेंद्र सिंह पुत्र स्व0 करम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

भूपेंद्र सिंह पुत्र स्व0 करम सिंह,
निवासी-विजय नगर सेक्टर-बी, नीलमथा दिलकुशा,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
पिन कोड–226002.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का घर का वास्तविक नाम मोहनी श्रीवास्तव है, आधार कार्ड, पैन-कार्ड व बैंक खाते में मेरी पत्नी का नाम मोहनी श्रीवास्तव अंकित है, जबकि मेरे पेंशन प्रपत्रों में पत्नी का नाम रवी मोहनी श्रीवास्तव अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम

मेरी पत्नी अर्थात् एक ही महिला के है, भविष्य में मेरी पत्नी को मोहनी श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

हर्ष कुमार श्रीवास्तव,
पुत्र स्व0 बाबूराम श्रीवास्तव,
निवासी–359/2, शास्त्री नगर,
जिला कानपुर नगर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 विजय ट्रेडिंग कम्पनी, 34/बी एण्ड 35/18, डी, देवी रोड, मैनपुरी, उ0प्र0 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है –

फर्म के पूर्व तृतीय पक्ष भागीदार श्री मयूर कुमार गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल उम्र 33 वर्ष निवासी-98, गली नं0712, पंजाबी कॉलोनी, मैनपुरी दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री अशोक कुमार गोयल तथा श्रीमती चेतना गोयल ही भागीदार शेष रह गये हैं।

अशोक कुमार गोयल,
भागीदार,
मे0 विजय ट्रेडिंग कम्पनी,
निवासी–34/बी एण्ड 35/18, डी,
देवी रोड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–15 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।